भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

61AE 991240

यह जनरल स्टाम्प पेपर प्रोग्रेसिव सोसाइटी फार सोशल वेलफेयर

जिला कानपुर फाइल सं0 K 27410

के साथ संलग्न है

प्रबन्ध समिति सूची वर्ष 2017-18

छायाप्रति प्रमाणित

यह अभिलेख संस्था की पत्रावली में संलग्न है परन्तु सोसाइटी रजि0 अधिनियम 21 सन् 1860 की संगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं।

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर

28/10/2022

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 123943......

प्रारूप — 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या - 5454 दिनांक 12/07/2020

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या K-205, पत्रावली संख्या K-27410 दिनांक 12/07/2020

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर 3 / 1205, अम्बेडकरपुरम् आवास विकास योजना—3, कल्यानपुर, कानपुर नगर ....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र 257/2000-01......दिनांक 12/07/2000, को दिनांक 12/07/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

...............1100/-...........रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 12/07/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सो० फार्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1274)–2,00,000 प्रतियां–(क० / डी० / आफसेट)।

Vijay Kumar
उपाध्यक्ष
यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर
कल्यानपुर, कानपुर नगर

UNIVERSAL SOCIETY FOR SOCIAL WELFARE

Regd. Off.: 3/1205, Ambedkarpuram, Awas Vikas No.-3, Kalyanpur, Kanpur

Ref..............   Date...............

प्रबन्ध समिति की सूची
2018–19

क्रम. सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
01.	श्री जगदीश नारायण	श्री रामकृष्ण	ग्रा0–अमिलिहा, पो– तातियागंज, कानपुर देहात	अध्यक्ष	समाजसेवा
02.	श्री विजय कुमार शुक्ला	जगदीश नारायण शुक्ला	3 / 1205, अम्बेदकरपुरम, आवास विकास, कल्यानपुर, कानपुर।	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
03.	श्री विनोद कुमार शुक्ला	श्री जगदीश नारायण शुक्ला	ग्राम–अमिलिहा, पोस्ट–तातियागंज, कानपुर	सचिव	व्यवसाय
04.	श्रीमती श्यामा शुक्ला	जगदीश नारायण शुक्ला	3 / 1205, अम्बेदकरपुरम, आवास विकास, कल्यानपुर, कानपुर।	सं0 सचिव	समाजसेवा
05.	श्रीमती गीता शुक्ला	श्री लालू प्रसाद	3 / 1205, अम्बेदकरपुरम, आवास विकास, कल्यानपुर, कानपुर।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
06.	श्री महेश द्विवेदी	श्री लालू प्रसाद	10, गंगागंज–4, पनकी, कानपुर	सदस्य	कृषि
07.	श्रीमती सपना तिवारी	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	ग्राम– सरगांव कानपुर देहात	सदस्य	व्यवसाय

गीता देवी

Sapna Tiwari

रमेश चन्द्र

अम्बरीश कान्त

Suresh Kumar

प्रतिलिपि प्रमाणित
... अभिलेख संस्था की पत्रावली में संलग्न है परन्तु सोसाइटी ... अधिनियम 21 सन् 1860 की संगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

संशोधित

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर
2. संस्था का पता : एम.आई.जी.-62, गंगागंज कालोनी भाग-3, पनकी, कानपुर-208020
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. शाखाएं : इस संस्था की शाखाएं प्रत्येक जिला, तहसील विकासखण्ड एवं प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थापित की जा सकती है तथा सम्पूर्ण भारत को परिधि तक पहुँचाये जाने की कोशिश की जायेगी।
5. संस्था के उद्देश्य : यह संस्था पूर्ण रूपेण गैर राजनीतिक होगी तथा संस्था के प्रमुख उद्देश्य केवल समाज कल्याण के लिए कार्य करना, जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक एवं तकनीकी उन्नति के लिए हर सम्भव प्रयास करना, लोगों के जीवन स्तर को उठाना, समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना, मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करना व जन सेवा ही होंगे।

1. सामाजिक कुरीतियों, शोषण वेश्यावृत्ति, दहेज-प्रथा बाल-विवाह, वर्ग-भेद, छुआ-छूत, आदि को समूल नष्ट करना, विधवा-विवाह, अन्तर-जातीय विवाह दहेज-हीन विवाह के लिए जनमानस को प्रोत्साहित करना, सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करना तथा आदर्श शादी कार्यालयों की स्थापना करना।
2. आश्रयहीन, परित्याकृता, अन्धा, विधवा, निर्धन, अपाहिज, विकलांग, कोढ़ी तथा छोटे बच्चों का पालन पोषण पारिवारिक परिवेश में करके समाज का अंग बनाने हेतु अनाथ आश्रम खोलकर उनकी शैक्षिक, बौद्धिक, नैतिक उन्नति हेतु प्रयास करना एवं उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर उन्हें अपनी जीविका कमाने के लिए प्रशिक्षित करना।
3. दैवी आपदाओं व प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्यक्रमों का आयोजन करना वहां पर राहत सामग्री शासन-प्रशासन के समक्ष अधिकारियों की अनुमति से पहुंचाना व सहयोग देना, घटना व दुर्घटना स्थल पर सुयोग्य चिकित्सकों का दल संस्था की ओर से शासन-प्रशासन की समुचित अनुमति के उपरान्त भिजवाना व पीड़ित परिवारों की सहायता करना।
4. महिलाओं, बेरोजगारों एवं विकलांगों के लिए सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, बालबाड़ी, कालीन बुनाई, पेंटिंग शिक्षा केन्द्रों, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ब्यूटीशियन सेण्टर, फैशन डिजाइनिंग, मेंहदी, रेडिमेड कपड़े बनाना आदि के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा महिला कार्यक्रम एवं बाल कार्यक्रमों को संचालित करना, महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिलाना एवं उनके लिए केन्द्र व राज्य सरकार की मदद से विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. शासन-प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरान्त अन्धता निवारण के लिये कार्य करना, नेत्र चिकित्सा शिविरों, नेत्रदान शिविरों, रक्तदान शिविरों, स्वास्थ्य शिविरों, चिकित्सा केन्द्रो की व्यवस्था व तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन, मरीजों को चिकित्सा परामर्श एवं दवाईयाँ उपलब्ध कराना आदि।

सत्य-प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर

Vijay Kumar
प्रधानाचार्य
... सोशल वेलफेयर

6. नशामुक्त समाज का निर्माण करना, नशे के विरूद्ध जनजागृति उत्पन्न करना, नशामुक्त केन्द्रों व नशामुक्त अस्पतालों की स्थापना करना।

एड्स के विरूद्ध जनजागृति करना, एड्स के बचाव के उपायों की जानकारी का प्रचार–प्रसार करना, नुक्कड, नाटक, गोष्ठी, कार्यशाला तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों का संचालन करना।

कैंसर, टी0 बी0 व अन्य जानलेवा बीमारियों में लोगों को सहायता प्रदान करना।

जन–स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, नर्सिंगहोम की स्थापना करना तथा निशुल्क स्वास्थ्य–जांच कैम्पों का आयोजन करना।

7. पोलियो, वी0पी0जी0, खसरा, हेपेटाइटिस, बी0ए0ई0, टिट्नेस एम0एम0आर0 तथा सभी प्रकार की बीमारियों के लिए टीकाकरण आदि के कैम्पों द्वारा प्रचार–प्रसार व संचालन करना। थेलीसिमिया, एनिमिया, टी0 बी0, नशा उन्मूलन इत्यादि सम्बन्धी निवारण कार्यक्रमों का संचालन एवं व्यवस्था करना।

8. परिवार कल्याण में प्रचलित संसाधनों, उपायों जैसे निरोध, कण्डोम, गर्भनिरोधक गोलियों का मुफ्त वितरण करना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन व परिवार कल्याण के बारे में जनमानस को अवगत कराना तथा शासन–प्रशासन के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना। परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को संचालित कराना।

9. वृक्षारोपण करना, वनो की रक्षा करना, उद्यान लगाना, प्रदूषण नियन्त्रण व पर्यावरण सन्तुलन हेतु कार्य करना, पर्यावरण एवं मानव विकास मंत्रालय, वन विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित करना।

10. अनु.जाति, अनु.जनजाति, अल्प संख्यक, निरक्षित, विस्थापित महिलाओं, पुरूषों व बच्चों के लिये अनाथालय, स्टे होम, पालना घर केन्द्र, वृद्धा आश्रम की व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल एवं विकास योजनाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना। मूक व बधिरों हेतु कार्य करना।

11. खादी ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करके खादी ग्रामोद्योग व खादी ग्रामोद्योग आयोग में आने वाले उद्योगों की स्थापना करना व प्रचार–प्रसार करना।

रोजगार हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग व प्रोत्साहन देना/ करना व स्थापना करना, चलाना व प्रशिक्षण देना।

12. विभिन्न प्रकार के प्रदषणों को रोकने हेतु राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करना, गाँवों में स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त शौचालयों की स्थापना करना, जलप्रदूषण को दूर करने के उपायों की जानकारी प्रदान करना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, शासन–प्रशासन, साँसद निधियों, विधायक निधियों, सभासद निधियों से अविकसित क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगवाना, जल संग्रहण जल निधि के माध्यम से भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाना एवं जनहित में विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना।

सत्य-प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
17/11/16

Vijay Kumar
उपाध्यक्ष
यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर

13. पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला, धर्मशाला, योगाभ्यास केन्द्र, अनाथालय, शिशु पालन एवं विकास केन्द्रें, छात्रावास आदि की स्थापना कर उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना।
प्रारम्भिक पाठशाला, शिशु मन्दिर, जू.हा.से. स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व स्नातकोत्तर विद्यालय खोलकर पठन–पाठन की व्यवस्था करना। संगीत, गायन, वादन, नृत्य केन्द्रों आदि के प्रशिक्षण व्यवस्था करना व उनका संचालन करना। सर्वशिक्षा योजनाओं को लेकर कार्यान्वित करना। गरीब, निर्धन व बालश्रम योजनाओं को संचालित करना।

14. कम्प्यूटर अन्वेषण, शोध, प्रबन्ध, परामर्श, साफ्टवेयर विकास एवं सेवा प्रदान करना, कम्प्यूटर तकनीकि को जन–2 तक पहुंचाना, स्कूली छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग छात्रों एवं बेरोजगारों को कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाना, महिलाओं एवं मृतक आश्रित्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना तथा समय–2 पर सेमिनार, गोष्ठी तथा अन्य माध्यमों से कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।

15. वनौषधिक संग्रह, उत्पादन, शोधन, विपणन व वितरण करना, औषधिक वितरण करना/रूग्ण व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण व औषधि वितरण केन्द्र की स्थापना करना व प्रचार–प्रसार करना, उद्यान लगाने हेतु उद्यान विभाग, वन विभाग से योजनाओं को लेकर उद्यान लगाकर कार्यान्वित करना।

16. मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि लघु उद्योगों की स्थापना करना व केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित अनुदानों को प्राप्त कर कार्यान्वित करना।

17. पर्यावरण के क्षेत्र में प्रचार, प्रसार, सवंर्धन एवं शोध कार्य को प्राथमिकता देना एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं की सहायता से आम जनमानस को लाभान्वित करना।

18. विकलांगों एवं अपाहिजों हेतु आवासीय विद्यालय, छात्रावास, वोकेशनल इंस्टीट्यूट कृत्रिम, अंग निर्माण संचालित करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

19. पशु पालन, डेरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बकरी, पालन, रेशम, कीट पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन एवं मशरूम आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना व व्यवस्था एवं संचालन करना।

20. संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं को कम्प्यूटर, व्यूटीशियन, फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स सम्बन्धी सभी ट्रेडों के सरकार द्वारा चलाई जा रही शहरी एवं ग्रामीण परियोजनाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार में स्थापित कराना।

21. संस्था अपने उद्देश्यों की पूति के लिए समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, नौराड, नोबार्ड, शिफ्सा, डूडा, सूडा, सिडबी, यूनीसेफ, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, राजीव गाँधी फाउण्डेशन, इण्टरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सोसाइटी हेल्प्स विश्व स्वास्थ्य द्वारा संचालित व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित, बाल कल्याण, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, उ0प्र0 वित्तीय विकास निगम लि0, राज्य व केन्द्र सरकार के सभी विभागों से दान, अनुदान व आर्थिक सहायता लेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

Vijay Kumar
उपाध्यक्ष
यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर
कल्यानपुर, कानपुर नगर

सं2।।।

नियमावली

1 संस्था का नाम	:	यूनिवर्सल सोसाइटी फार सोशल वेलफेयर
2. संस्था का पता	:	एम.आई.जी.–62, गंगागंज कालोनी भाग–4, पनकी कानपुर–208020
3. संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त भारत वर्ष होगा
4. संस्था के उद्देश्य	:	स्मृतिपत्र के अनुसार होगे।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग	:	पूर्णतः योग्य तथा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में निष्ठा रखने वाले महिला अथवा पुरूष, जो इस संस्था के नियमों का पालन करने को तैयार हों, इस संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सदस्य बनायें जावेंगे।
अ–आजीवन सदस्य	:	जो व्यक्ति इस संस्था को 11,000/– रूपये एक बार में एकमुश्त अदा करेंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की चल–अचल सम्पत्ति अदा करेगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जायेगें।
ब–विशिष्ट सदस्य	:	समाजसेवी,, वरिष्ठ नागरिक, विचारक, एवं सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्ति जो संस्था में निष्ठा रखते हों को विशिष्ट सदस्य प्रबन्ध समिति द्वारा मनोनीत किया जायेगा इन सदस्यों को 501/– रूपये प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क देना होगा।
स– समान्य सदस्य		लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में की पूर्ति में समर्पित व्यक्ति इस संस्था को 501/– रूपये प्रतिवर्ष सदस्यता के रूप में अदा करेगे। वे इस संस्था के सामान्य सदस्य प्रबन/सचिव व अध्यक्ष द्वारा बनाये जायेंगे।
6. सदस्यता की समाप्ति	:	मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अपराध मे दण्डित होने पर, संस्था का निर्धारित सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर, संस्था के विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर संस्था की लगातार तीन बैठको में अनुपस्थिति रहने पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर, त्याग पत्र स्वीकृत होने पर प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से निष्कासित करने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्ति हो जायेगी। देय सदस्यता शुल्क वापस नहीं होगा और न ही सदस्यता का क्लेम कर सकेंगे।
7 संस्था के अंग	:	संस्था के दो अंग है– (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

गीता देवी

सत्य-प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

Vijay Kumar
उपाध्यक्ष
यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर
कल्याणपुर, कानपुर नगर

8 साधारण सभा

(क) गठन : संस्था के आजीवन, विशिष्ट एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख) बैठके : साधारण सभा की सामान्य बैठके वर्ष में एक होगी तथा विशेष बैठके आवश्यकता अनुसार सदस्यों का सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(ग) सूचना : सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व लिखित रूप से अथवा सूचना के किसी भी माध्यम से सचिव द्वारा दी जायेगी ।

(घ) गणपूर्ति : गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यो में से 2/3 उपस्थिति सदस्यों का कोरम होगा, कोरम के अभाव में दो बैठके स्थगित हो जाती है तो तीसरी बैठक के लिए कोर की कोई आवश्यकता न होगी।

(ङ) विशेष वार्षिक की तिथि : संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि संस्था की प्रबन्ध समिति तय करेगी।

(च) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

- संस्था की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन करना।
- संस्था के वार्षिक आय–व्यय व वाषिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट को स्वीकृत करना।
- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन करना।
- संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

9. प्रबन्ध–कारिणी समिति

अ–गठन : साधारण सभा मे से बहुमत, गुप्त मतदान या चुनाव प्रकिया प्रबन्धकारियों समिति का गठन होगा। प्रबन्धकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष व 6 सदस्यहोगें। प्रबन्ध–कारिणी समिति की संख्या आवश्यकता अनुसार धटाई या बढाई जा सकती है जो अधिकतम 21 तक हो सकती है तथा पदाधिकारियों को निर्वाचन आजीवन सदस्यों मे से होगा।

ब–बैठकें : प्रबन्धारिणी समिति की सामान्य बैठके वर्ष मे दो बार होगी तथा विशेष बैठके आवश्यकतानुसार सदस्यो को सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

स–सूचना अवधि : सामान्य बैठको की सूचना सदस्यो को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यो को 24 घण्टे पूर्व लिखित रूप से अथवा समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

द–गणपूर्ति : गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों मे से 2/3 उपस्थिति सदस्यों का कोरम होगा कोरम के अभाव में दो बैठके

सत्य-प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

Vijay Kumar
उपाध्यक्ष
यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर
कल्याणपुर, कानपुर नगर

स्थगित हो जाती है तो पुनः बुलाई गयी बैठक के लिए कोरम की कोई आवश्यकता न होगी।

य–रिक्त स्थानो की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ति साधारण सभा की बैठको में कार्यकाल के लिए बहुमत से कर ली जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः

- संस्था के वार्षिक कार्यक्रमों व वार्षिक आय व्यय बजट को तैयार करना।
- संस्था के विवादों को सुलझाना तथा संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- संस्था के संचालन हेतु नियम, उपनियम तथा उपसमितियां व योजनाएं बनाना व नीतियां निर्धारित करना।
- उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, नागरिकों, भारत सरकार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, कपार्ट, डकावरा सूडासेल, डी0आई0डी0ए, नवार्ड, अवार्ड, सिडवी, शिक्षा विभाग व अन्य सरकारी विभागो से दान, अनुदान, चन्दा एवं चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी।
- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग से वित्तीय सहायता लेना, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा जारी ब्याज, उपादान प्रमाणपत्र के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करना।
- विदेशी संगठनों के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन कराना देश के गृह विभाग एवं विदेश विभाग जहां भी आवश्यक हो पंजीयन कराना।
- भूमि, भवन तथा चल व अचल सम्पत्ति दान में प्राप्त करना एवं क्रय करना, रख रखाव करना एवं निर्माण का प्रबन्ध करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

1. अध्यक्ष :
   1. संस्था की ओर से बैठकों की अध्यक्षता करना।
   2. बैठकों के लिए दिनाकों का अनुमोदन करना।
   3. बैठकों को बुलाना तथा स्थगित करना विषय पर समान मत आने पर अपना निर्णायक मत देना।
   4. बैठको में शान्ति बनाये रखना प्रस्ताव रखने की अनुमति देना।

सत्य-प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
17/1/16

Vijay Kumar
उपाध्यक्ष
यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर
कल्याणपुर, कानपुर नगर

5. संस्था के प्रत्येक कार्य की समीक्षा करना, निगरानी करना व जॉच करना। सदस्यों को आदेश एवं निर्देश देना।

2. उपाध्यक्ष :
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक का संचालन करना।
2. अध्यक्ष के स्थान की पूर्ति करना।
3. अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करना।

3. सचिव :
1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना एवं संस्था के समस्त अभिलेख सुरक्षित रखना।
2. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना संस्था के विकास हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
3. संस्था की ओर से बैठको की कार्यवाही लिखना लिपिबद्ध करना, सुनना तथा कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।
4. संस्था के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याण कार्यक्रमों/योजनाओं, विद्यालयों, कम्प्यूटर सेन्टरों, महिला आश्रित केन्द्रो में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना इसके अलावा वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना व भुगतान करना।
5. समस्त स्टाफ की चरित्र पंजिकाये रखना उनमें अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्टि करना, कारण बताओ नोटिस जारी करना एवं निष्काषित या निलम्बित करना।
6. संस्था के चल/अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा करना हस्तान्तरण, किराये, पट्टे पर लेने देने संबधित प्रपत्रों /दस्तावेजो आदि पर हस्ताक्षर करना।
7. समस्त बिलों एवं बाउचरो, लेखों व विलेखों पर हस्ताक्षर करना।

4. संयुक्त सचिव :
1. समिति के विकास सम्बन्धी सभी प्रयास करना।
2. सदस्यों से चन्दा प्राप्त करना।
3. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
4. बैठकों के लिए दिनाकों का अनुमोदन करना, परिवर्तन या परिबर्धन, बैठकों को स्थगित अध्यक्ष की अनुमति से करना।
5. संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखरेख करना।
6. सदस्यों को सदस्यता हेतु बैठक में रखना।

3. कोषाध्यक्ष :
1. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. संस्था के कोष सम्बन्धी अभिलेख तैयार करना।
3. संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सौपे गये कार्य करना।

गीता देवी

सत्य-प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

Vijay Kumar
उपाध्यक्ष
यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर
कल्यानपुर, कानपुर नगर

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकियाः

: संस्था के नियमो एवं विनियमों के संशोधन एवं परिवर्तन 2/3 बहुमत से सोसाइटी रजि0 अधिनियम की धारा 12 के अनुसार साधारण सभा की बैठको में किये जायेंगें।

12. संस्था का कोष एवं आय के श्रोत–

: संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय/राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस मे संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा।

: संस्था उद्‌देश्यो की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानो, नागरिको, वित्तीय संस्थाओ, स्थानीय बैकों, कपार्ट, डवाकरा, सूडासेल, ट्राइसेम, डी0आर0डी0ए, सिडवी यूनिसेफ, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा विभाग व अन्य सरकारी विभागो से दान, अनुदान चनदा, चल व अचल सम्पति आदि प्राप्त करेगी इसके अलावा सदस्यो से सदस्यता शुल्क व चन्दा आदि लेगी।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखापरीक्षण/आडिट

: संस्था के आय–व्यय का लेखा–जोखा/आडिट प्रतिवर्ष सत्र की समाप्ति पर सर्टीफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा।

14 संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

: संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी सचिव द्वारा अथवा सचिव द्वारा अधिकृत व्यक्ति/ एड्वोकेट द्वारा की जायेगी

15. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्ट्रर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. लेजर कैश बुक
5. एजेन्डा रजिस्टर
6. सूचना रजिस्टर
7. अन्य अभिलेख जो आवश्यक होगें।

16. विघटन : संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि0 अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत जायेगी।

दिनॉक–14-12-05 सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

सत्य-प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर

उपाध्यक्ष
...सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर
कानपुर नगर